(1)

उत्तरांचल शासन,
समाज कल्याण अनुभाग–01,
संख्या : 498 /XVII(1)/2006–17(प्रकोष्ठ)/2004,
देहरादून, 01 मार्च/अप्रैल 2006.

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा, श्री आर. पी. पन्त, सहायक निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल को आदेशित किया जाता है कि वे सहायक निदेशक के पदीय कर्तव्यों के साथ–साथ शासन स्तर पर गठित समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद का कार्यभार भी देखेंगे। इनका मुख्यालय देहरादून में होगा और देहरादून में रहकर ही दोनों पदों के कर्तव्यों का निवर्हन करेंगे। इस हेतु श्री पन्त को कोई अतिरिक्त वेतन–भत्ता देय नहीं होगा।

अतः श्री पन्त को निर्देशित किया जाता है कि वे समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में तत्काल योगदान सुनिश्चित करें।

राधा रतूड़ी
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 498 (1)/XVII(1)-01/2006–17(प्रकोष्ठ)/2004, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल।
6. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तरांचल शासन।
10. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. सम्बन्धित अधिकारी।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर
संख्या : 482/XVII(1)-01/2006-158(कल्याण)/2001

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, 29 मार्च 2006

विषय : स्वैच्छिक संस्था "डा. भीमराव अम्बेडकर समाजोत्थान समिति", बेरीनाग, जनपद-पिथौरागढ़, उत्तरांचल द्वारा संचालित चार प्राइमरी पाठशालाओं को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-4924/स.क./स्वै.स./प्रस्ताव/2005-06, दिनांक 04 फरवरी 2006 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वैच्छिक संस्था "डा. भीमराव अम्बेडकर समाजोत्थान समिति", बेरीनाग, जनपद-पिथौरागढ़, उत्तरांचल द्वारा संचालित निम्नांकित चार प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन-भत्तों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में रुपये 7,32,832/- (रुपये सात लाख बत्तीस हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) प्राइमरी पाठशाला, रानाल।

(2) प्राइमरी पाठशाला, सानीउडियार।

(3) प्राइमरी पाठशाला, राना, बेरीनाग।

(4) प्राइमरी पाठशाला, भराड़ी।

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि संस्था को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व निर्धारित नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जाएगी तथा व्यय के उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तरांचल को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
4. चालीस छात्रों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाती है तथा प्राइमरी पाठशाला में छात्रों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा वेतनादि का भुगतान किया जाएगा। स्पष्ट है कि छात्रों के अनुपात में ही अध्यापकों का वेतन भुगतान होगा। यदि उक्त शर्त संस्था पूरी नहीं करती है तो वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा और धनराशि राजकीय कोष में जमा करने के सम्बन्ध में शासन के आदेश प्राप्त करने होंगे।

5. उक्त अनुदान तदर्थ आधार पर One Time स्वीकृत किया जा रहा है। उक्त विषयक के नियमावली तैयार कर अनुदान स्वीकृत किया जायेगा ताकि अनुदान का सुदपयोग हो सकें।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–31" के "आयोजनेत्तर पक्ष" के लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–277–शिक्षा–07–सहायता प्राप्त पुस्तकालयों/छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं हेतु अनुदान–00" के मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जाएगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या– 1323/XXVII(3)/2006, दिनांक 28 मार्च 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 482(1)/XVII(1)-01/2006–158(कल्याण)/2001, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ, उत्तरांचल।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़, उत्तरांचल।
7. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल, उत्तरांचल।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़, उत्तरांचल।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तरांचल शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. प्रबन्धक, स्वैच्छिक संस्था "डा. भीमराव अम्बेडकर समाजोत्थान समिति", बेरीनाग, जनपद–पिथौरागढ़, उत्तरांचल।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव।

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर
संख्या :531/XVII(1)-01/2006-103(स.क.)/2002

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, 28 मार्च 2006

विषय : स्वैच्छिक संस्था "आदर्श मानव सेवा समिति", आदर्श नगर, काशीपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल द्वारा संचालित विद्यालय "आदर्श शिक्षा निकेतन", आदर्श नगर, गढ़ीनेगी, जनपद-ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-5074/स.क./स्वै.सं./प्रस्ताव/2005-06, दिनांक 21 फरवरी 2006 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वैच्छिक संस्था "आदर्श मानव सेवा समिति", आदर्श नगर, काशीपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल द्वारा संचालित विद्यालय "आदर्श शिक्षा निकेतन", आदर्श नगर, गढ़ीनेगी, जनपद-ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल के अध्यापकों के वेतन-भत्तों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में एक मुश्त सहायता के रूप में रूपये 4,75,000/- (रूपये चार लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि संस्था को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व निर्धारित नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जाएगी तथा व्यय के उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तरांचल को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
4. चालीस छात्रों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाती है तथा प्राइमरी पाठशाला में छात्रों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा वेतनादि का भुगतान किया जाएगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। स्पष्ट है कि छात्रों के अनुपात में ही अध्यापकों को वेतन भुगतान होगा। यदि उक्त शर्तें संस्था पूरी नहीं करती है तो वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा और धनराशि राजकीय कोष में जमा करने के सम्बन्ध में शासन के आदेश प्राप्त करने होंगे।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–31" के "आयोजनेत्तर पक्ष" के लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–277–शिक्षा–07–सहायता प्राप्त पुस्तकालयों / छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं हेतु अनुदान–00" के मानक मद "20–सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता" के नामे डाला जाएगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या– 1401 / XXVII(3) / 2006, दिनांक 28 मार्च 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 531(1) / XVII(1)-01 / 2006–79(स.क.) / 2003, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ, उत्तरांचल।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल।
7. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल, उत्तरांचल।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तरांचल शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. प्रबन्धक, स्वैच्छिक संस्था "आदर्श मानव सेवा समिति", आदर्श नगर, काशीपुर, जनपद–ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव।

01040600 1